माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 2611.2018 को बिहार राज्य जल पर्षद के कार्यालय में बिहार राज्य जल पर्षद, बिहार शहरी विकास अभिकरण एवं जिला शहरी विकास अभिकरणों के स्तर पर कार्यरत अभियंत्रण कोषांग के विलयन से संबंधित बिन्दुओं पर विचार–विमर्श हेतु आहूत बैठक की कार्यवाही

उपस्थितः–

1. श्री चैतन्य प्रसाद, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग।
2. श्री भरत झा, निदेशक, नगरपालिका प्रशासन–सह–विशेष सचिव।
3. प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना।
4. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना।
5. सचिव, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना।
6. महाप्रबंधक (प्रशासन) बुडको, पटना।
7. श्रीमती रूचिका कालरा, कम्पनी सचिव, बुडको, पटना।
8. अधीक्षण अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद।
9. श्री अशोक कुमार, अधीक्षण अभियंता, बुडा (मुख्यालय),
10. श्री सोमेश कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता, बुडा (मुख्यालय),

बैठक में विभागीय अधिसूचना संख्या 3092 दिनांक 15.11.2018 द्वारा बिहार राज्य जल पर्षद का पूर्ण रूप से तथा बिहार शहरी विकास अभिकरण एवं जिला शहरी विकास अभिकरणों के स्तर पर कार्यरत अभियंताओं के बुडको में विलयन दिनांक 30.11.2018 (अप0) से प्रभावी किये जाने के फलस्वरूप विलयन होनेवाले संस्थानों के साथ आहूत बैठक में इस परिप्रेक्ष्य में उत्पन्न कठिनाईयों के संबंध में विचार–विमर्श किया गया तथा निम्नवत् कार्रवाई के संबंध में निर्णय लिया गया :–

(1) विलयन के उपरांत संसाधनों के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की कठिनाई एवं समस्या उत्पन्न नहीं हो, इसके संबंध में बिहार राज्य जल पर्षद एवं डुडा द्वारा दिनांक 30.11.2018 (अप0) की स्थिति के आधार पर वास्तविक स्थिति की विस्तृत सूचना यथा–Assets एवं Liabilties, Ongoing Contracts (Physical & Financial Progress), Employees details तथा Litigation इत्यादि तैयार कर विभाग एवं बुडको को उपलब्ध करायेंगे।

(2) एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन के अन्तर्गत विभाग के अन्तर्गत सृजित पदों के विरूद्ध यथासंभव बुडा (मुख्यालय) स्तर पर वर्तमान में पदस्थापित अभियंताओं को पदस्थापित रखने के संबंध में विभाग द्वारा आदेश निर्गत किया जायेगा। बुडको द्वारा अभियंताओं का पदस्थापन इस प्रकार किया जायेगा कि सभी पद भरे जा सके। इसके लिए अतिरिक्त प्रभार देकर वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कार्यों का निष्पादन कराने हेतु बुडको द्वारा आदेश निर्गत किया जायेगा।

(3) बिहार राज्य जल पर्षद के अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के संवर्गीय पद एवं उन पदों के विरूद्ध कार्यरत अभियंताओं के संबंध में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को लिखित सूचना उपलब्ध कराने का निदेश देने संबंधी प्रस्ताव उपस्थापित करने का आदेश विभागीय स्थापना शाखा को दिया गया।

(4) एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन के अन्तर्गत वैकल्पिक तौर पर वर्तमान में कार्यरत मुख्य अभियंताओं में से ही वरीयतम किसी एक मुख्य अभियंता को विभाग के अन्तर्गत सृजित अभियंता प्रमुख के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया जायेगा। अभियंता प्रमुख के प्रभारी मुख्य अभियंता को बुडको के अन्तर्गत कम से कम कार्य भार सौंपा जायेगा ताकि विभागीय कार्यों पर वे समय दे सकें।

(5) बिहार राज्य जल पर्षद में कार्यरत कर्मियों की सूची बुडको को उपलब्ध कराने का निदेश बिहार राज्य जल पर्षद को दिया गया।

(6) बिहार राज्य जल पर्षद, डुडा, बुडा के अन्तर्गत वर्तमान में कार्यान्वित सभी योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय स्थिति के साथ बुडको को उपलब्ध करा दिया जायेगा। दिनांक 30.11.2018 अप0 से बिहार राज्य जल पर्षद एवं डुडा की सभी योजनाएँ बुडको के अर्न्तगत सम्मिलित हो जायेंगे तथा उक्त तिथि से उसका कार्यान्वयन का दायित्व बुडको का होगा।

(7) विलयन के परिप्रेक्ष्य में जल संसाधन विभाग से संविदा के आधार पर सेवा प्राप्त सभी कनीय अभियंता दिनांक 30.11.2018 के अप0 से संविदा सहित बुडको के अन्तर्गत हो जायेंगे।

(8) बिहार राज्य जल पर्षद के अन्तर्गत कार्यरत सचिव के पद पर कार्यरत पदाधिकारी श्री आलोक कुमार (बि0प्र0से0) की सेवा विलयन से संबंधित कार्रवाई के परिप्रेक्ष्य में विशेष कार्य पदाधिकारी के पद पर उपलब्ध कराने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग को अनुरोध पत्र भेजने का निर्णय लिया गया।

(9) दिनांक 30.11.2018 अप0 से बिहार राज्य जल पर्षद एवं डुडा का सभी कार्यकारी एजेन्सी, संवेदक इत्यादि बुडको के अन्तर्गत हो जायेंगे तथा काली सूची में दर्ज एजेन्सी, संवेदक इत्यादि की सूची भी बुडको को उपलब्ध करा दी जायेगी। बिहार राज्य जल पर्षद एवं डुडा का योजनाओं से संबंधित सभी बैंक गारटी/जमानत/प्रतिभूति बुडको के नाम से प्लेज्ड करा दिये जाने का निर्णय लिया गया।

(10) दिनांक 30.11.2018 अप0 से बिहार राज्य जल पर्षद, बुडा तथा डुडा का सभी बैंक खाता बुडको के नाम से किये जाने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में विचारोपरान्त यह भी निर्णय लिया गया कि डुडा के पास दिनांक 30.11.2018 अप0 तक मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के अन्तर्गत नागरिक सुविधा मद में संचित राशि से निकासी एवं व्यय नहीं किये जाने हेतु संबंधित जिला पदाधिकारियों को निर्देश निर्गत किया जाय।

(11) बिहार राज्य जल पर्षद एवं डुडा को यह निदेश दिया गया कि दिनांक 30.11.2018 अप0 तक कार्यान्वित पूर्ण एवं अपूर्ण सभी योजनाओं की सूची विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करा दिया जाय।

(12) विचारोपरान्त यह भी निर्णय लिया गया कि डुडा के अन्तर्गत कार्यपालक अभियंता के सृजित पद का विलयन बुडको में हो जाने के फलस्वरूप डुडा के लगभग अस्तित्वहीन होने के परिप्रेक्ष्य में डुडा को भंग कर बुडको के अन्तर्गत समाहित किये जाने हेतु प्रस्ताव उपस्थापित करने का निदेश विभागीय स्थापना प्रशाखा को दिया गया।

(13) चूँकि विलयन के उपरांत एकीकृत अभियंत्रण संगठन के अन्तर्गत अभियंताओं के पदों पर प्रारम्भिक अवस्था में पदस्थापन किया जाना है, इसलिए विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि निदेशक, नगरपालिका प्रशासन, सचिव, बिहार राज्य जल पर्षद, महाप्रबंधक (प्रशासन), बुडको एवं श्री सोमेश कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता की एक समिति गठित किया जाय, जो बुडको को पदस्थापन के संबंध में सहयोग प्रदान करेंगे।

(14) बिहार राज्य जल पर्षद के द्वारा कार्यान्वित जलापूर्ति की योजनाओं में कनेक्शन की अत्यन्त धीमी प्रगति के आलोक में निर्णय लिया गया कि जबतक हाउस कनेक्शन नहीं होता है, तबतक पाईप एवं पाईप फिटिंग का भुगतान नहीं किया जाय।

धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

ह0/–
(चैतन्य प्रसाद)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–11/न0वि0 अभि0 (को0) 68/2014–1509/न०वि०आ०वि०,पटना/दिनांक–29/11/18

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद/बिहार राज्य आवास बोर्ड/बिहार शहरी आधारभूत संरचना एवं विकास निगम/मुख्य अभियंता, बिहार शहरी विकास अभिकरण/कार्यपालक अभियंता, सभी जिला शहरी विकास अभिकरण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, नगरपालिका
प्रशासन–सह–विशेष सचिव।